भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1102

गुरूवार, 15 दिसम्बर, **202**2/24 अग्रहायण, **194**4 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र का सतत विकास

1102. श्री जग्गेशः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का लक्ष्य विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और क्षेत्र का सतत विकास करने के लिए परिवर्तन को गति देना है;

(ख) क्या पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए समस्याओं को हल करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के समन्वय तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं की राज्य-वार स्थिति और संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय-सीमा क्या है**?**

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): भारत सरकार द्वारा कोविड के पश्चात् देश के पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय राहत उपाय घोषित किये गए हैं। जिनका विवरण अनुबंध में संलग्न है।

उपरोक्त के अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया है। नीति के प्रमुख कार्यनीतिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) यात्रा, आवास और खर्च में वृद्धि करके और भारत को एक वर्षपर्यंत पर्यटन स्थल बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना।

(ii) पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों का सृजन करना और कुशल कार्य बल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(iii) पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना।

(iv) देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और उनको समृद्ध बनाना।

(v) देश में पर्यटन के सतत, जिम्मेदार और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।

(ख): पर्यटन क्षेत्र के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसीटीएस) देश में पर्यटन के विकास से जुड़े अंतर-मंत्रालयी / विभागीय मुद्दों का समाधान करने की सुविधा प्रदान करती है।

(ग): देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय की मुख्य योजनाएं निम्नानुसार हैं:

(i) स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास

(ii) तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)।

(iii) पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता।

(iv) आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और संवर्धन।

(v) बाजार विकास सहायता सहित विदेशी प्रचार और संवर्धन की पुनर्गठित योजना।

(vi) आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीटीएम/आईसीआई/ एनसीएचएमसीटी आदि को सहायता।

(vii)सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण।

(viii) चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना।

(ix) महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हुए, देश में स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है।

(घ): स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन और पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग आदि के शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

*****

अनुबंध

पर्यटन क्षेत्र का सतत विकास के संबंध में दिनांक 15.12.2022 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 1102 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

कोविड के पश्चात् देश के पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय राहत उपाय निम्नानुसार हैं:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी।

ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए **@**9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।

iv. सरकार ने **100** से कम कार्मिकों वाले और जिनके **90%** कर्मचारियों की आय **15000** रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।

v. अक्टूबर **2020** तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।

vii. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की है। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। आतिथ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त संचयी निधि का प्रावधान भी किया गया है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2023 तक या 5 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत जारी की गई गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है:

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) होटल, रेस्तरां, पर्यटन के **30.06.2022** तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	ईसीएलजीएस योजना	जारी की गई गारंटी की संख्या	गारंटी की गई ऋण राशि (करोड़ रु में)
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस **1.0**	**96734**	**3668.59**
	ईसीएलजीएस **1.0** विस्तार	**1041**	**202.13**
कुल		**97775**	**3870.72**
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस **2.0**	**219**	**3421.46**
	ईसीएलजीएस **2.0** विस्तार	**4**	**34.47**
कुल		**223**	**3455.93**
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस **3.0**	**2926**	**1880.57**
	ईसीएलजीएस **3.0** विस्तार	**567**	**342.67**
कुल		**3493**	**2223.24**
आतिथ्य	ईसीएलजीएस **3.0**	**3478**	**6154.45**
	ईसीएलजीएस **3.0** विस्तार	**1120**	**1781**
कुल		**4598**	**7935.45**
कुल योग		**106089**	**17485.34**

viii. **28** जून, **2021** को, सरकार ने कोविड-**19** महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल **17** उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

ix. पर्यटन मंत्रालय ने कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) की घोषणा की है जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण देना है ताकि ताकि वे अपनी देनदारियों को चुका सकें और कोविड-19 के कारण प्रभावित अपने व्यवसायों को दोबारा शुरू कर सकें। इस ऋण गारंटी योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों को 1.00 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह योजना 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पहले ही प्रचालनरत है। उक्त योजना की वैधता एक और वर्ष अर्थात 31.03.2023

तक अथवा योजना के तहत 250.00 करोड़ रु. की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दी गई है।

x. कोविड-19 के बाद के पुनुरूत्थान की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बी एंड बी/होमस्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए और जारी कर दिए हैं ताकि व्यवसाय को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।

xi. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड - **19** और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **"**साथी**"** **(**आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xii. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को **31** मार्च **2022** तक बढ़ा दिया गया है।

xiii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

xiv. देश में अंतर्गामी पर्यटन को फिर से शुरू करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा मुफ्त में किये हैं। पहले **5** लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा।

xv. कोविड-**19** महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।

xvi. गृह मंत्रालय ने **156** देशों के विदेशी नागरिकों के लिए दिनांक **15** मार्च, **2022** से ई-टूरिस्ट वीजा को बहाल किया है। इसके अलावा, दुनिया भर में बढ़ते हुए टीकाकरण के कवरेज को देखते हुए और हितधारकों के परामर्श से, भारत सरकार ने **27** मार्च, **2022** से भारत के लिए/से अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू किया।

*****